6/11/2020

वकुलांए फरीकेन उपस्थित पत्रावली पेश हुई।

भंवरलाल के वारीसान की और से इजराय प्रार्थना पत्र में एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर कथन किया गया है, कि भंवरलाल के वारीसान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश किया हुआ है, इसलिये इस इजराय प्रार्थना पत्र की कियान्विति को स्थगित किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर डिक्रीदार के अभिभाषक ने जवाब पेश ना कर मौखिक विरोध किया गया। और कथन किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारीत की गई उसकी पालना में इजराय पेश की गई है, इसलिये विधि के प्रावधानो के अनुसार इजराय की कार्यवाही को स्थगित नही किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया। इस न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री की इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा कमांकःकोर्ट/2020/06दिनांक 7.2.2020 को तहसीलदार विजयनगर को पत्र जारी किया गया है, उसकी पालना में तहसीलदार विजयनगर द्वारा अपने पत्र कमांक एल.आर./3328 दिनांक 4.9.2020 के द्वारा जमाबंदी संवत 2072–2075 पेश कि गई उसमें नामान्तकरण संख्या 1165 दिनांक 9.6.2020 के द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त इजराय की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक नही पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

डिक्रीदारान के अभिभाषक द्वारा भी कथन किया गया है, कि निर्णय व डिक्री पालना पूर्ण हो चुकी है, इसलिये अब शेष कोई कार्यवाही नही रही है। अतः उक्त इजराय की कार्यवाही ड्रोप की जाती है, पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:13:35 IST
Reason: SelfAttested